N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0064 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 21/03/2025 20:11 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 19/03/2025 **Date To (दिनांक तक):** 20/03/2025

   Time Period (समय अवधि): पहर 6 **Time From (समय से):** 17:00 बजे **Time To (समय तक):** 16:21 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 21/03/2025 **Time (समय):** 17:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 21/03/2025 20:11:00 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 45 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** GOGESHWAR MAHADEV MANDIR,, BY PASS ROAD,NAINWA

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** BADSHAH URF MOHABBAT
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** MOTILAL MEENA
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1990 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	RAGHUNATHGANJ POST BALAPURA, NAINWA, NAINWA, BUNDI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	RAGHUNATHGANJ POST BALAPURA, NAINWA, NAINWA, BUNDI, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MARUTI NANDAN		पिता:RAMDEV NAGAR	1. RAVINDRA COLONY,NAINWA,NAINWA,BUNDI,RAJASTHAN,INDIA
2	LAXMIKANT		पिता:NANDLAL KHANNA	1. WARD NO.04,NAINWA,KHARA KUAN,BUNDI,RAJASTHAN,INDI

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक विषय - रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाने बाबत्। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं बादशाह उर्फ मोहब्बत पुत्र श्री मोतीलाल मीना उम्र 35 साल निवासी रघुनाथगंज पोस्ट बालापुरा तहसील नैनवा जिला बूंदी का रहने वाला हु तथा मेरे साथ जो व्यक्ति आया है वह मेरा मित्र श्री रामेष्वर मीना पुत्र श्योराज मीना उम्र 30 साल निवासी रामपुरिया पोस्ट गम्भीरा तहसील नैनवा है। मैने मेरी खातेदारी कृषि भूमी जो ग्राम रघुनाथगंज में स्थित है पर स्टे व बेदखल करने के लिये उपखण्ड अधिकारी कार्यालय नैनवा में वाद कर रखा है। मैने वाद किये हुये करीब 9 माह हो चुके है लेकिन मेरे वाद में कोई कार्यवाही नही हो रही है। आज से दो दिन पहले मैं एस.डी.एम. कार्यालय नैनवा में जाकर श्री आलोक जी नागर रीडर साहब से मिला तथा अपने वाद के सम्बन्ध में पूछताछ की तो आलोक जी ने कहाँ कि तेरा वाद अभी पेण्डिग है तो मैने कहा कि मेरे वाद में कोई कार्यवाही क्यो नही हो रही है तो आलोक जी ने कहा कि ऐसे कार्यवाही नही होती है यहाँ से आये दिन वाद हो रहते है तो मैने कहां कि फिर कैसे कार्यवाही होगी तो आलोक जी कहने लगे कि तु मुझे 50000 रूपये दे दे, मै तेरे वाद में स्टे दिलवा दूंगा। मैने कहा कि 50000 रूपये किस बात के लगेगे तो कहने लगे कि बिना रूपये के कोई काम नही होता है। मैने कहाँ कि मेरा काम तो जायज है फिर मैं रिश्वत क्यो दूं तो कहने लगे कि बिना रिश्वत दिये कोई काम एस.डी.एम. कार्यालय नैनवा में नही होता है तथा एस.डी.एम. साहब बिना रिश्वत लिये काम नही करते है। अगर तु रिश्वत नही देगा तो तेरा काम नही होगा। मैने उनसे काफी विनती की लेकिन उन्होने रिश्वत देने पर ही काम करने हेतु कहा। मैं अपने जायज काम के बदले श्री आलोक जी रीडर एस.डी.एम. कार्यालय नैनवा को रिश्वत नही देना चाहता हु। मैं उन्हे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हु। मेरी आलोक जी रीडर साहब से किसी प्रकार की कोई पुरानी रंजीश व पैसो का लेन-देन बकाया नही है। मैं ज्यादा पढा लिखा नही हु। इस कारण रिपोर्ट मैने अपने मित्र श्री रामेश्वर मीना से लिखवायी है। मेरे मित्र रामेश्वर मीना ने मेरे कहे अनुसार रिपोर्ट लिखी है तथा आलोक जी रीडर साहब मेरे मित्र के सामने ही मुझसे रिश्वत के सम्बन्ध में बातचीत करेगे। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। सहपरिवादी परिवादी श्री रामेश्वर मीना पुत्र श्योराज मीना बादशाह उर्फ मोहब्बत पुत्र श्री मोतीलाल उम्र 30 साल निवासी रामपुरिया पोस्ट मीना उम्र 35 साल निवासी रघुनाथगंज पोस्ट गम्भीरा तहसील नैनवा मो.न. [redacted] बालापुरा तहसील नैनवा जिला बूंदी कार्यवाही पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक दिनांक 19.03.2025 समय 5 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झाबर मल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक के समक्ष परिवादी श्री बादशाह उर्फ मोहब्बत पुत्र मोतीलाल मीना निवासी रघुनाथगंज पोस्ट बालापुरा तहसील नैनवा जिला बूंदी मय अपने मित्र श्री रामेश्वर मीना पुत्र श्री श्योराज मीना निवासी रामपुरिया पोस्ट गम्भीरा तहसील नैनवा के उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश कि मैं ग्राम रघुनाथगंज पोस्ट बालापुरा तहसील नैनवा जिला बूंदी का निवासी हू। मैने मेरी खातेदारी कृषि भूमी जो ग्राम रघुनाथगंज में स्थित है पर स्टे व बेदखल करने के लिये उपखण्ड अधिकारी कार्यालय नैनवा में वाद कर रखा है। मैने वाद किये हुये करीब 9 माह हो चुके है लेकिन मेरे वाद में कोई कार्यवाही नही हो रही है। आज से दो दिन पहले मैं एस.डी.एम. कार्यालय नैनवा में जाकर श्री आलोक जी नागर रीडर साहब से मिला तथा अपने वाद के सम्बन्ध में पूछताछ की तो आलोक जी ने कहा कि तेरा वाद अभी पेण्डिग है तो मैने कहा कि मेरे वाद में कोई कार्यवाही क्यो नही हो रही है तो आलोक जी ने कहा कि ऐसे कार्यवाही नही होती है यहाँ से आये दिन वाद हो रहते है तो मैने कहा कि फिर कैसे कार्यवाही होगी तो आलोक जी कहने लगे कि तू मुझे 50000 रूपये दे दे, मै तेरे वाद में स्टे दिलवा दूंगा। मैने कहा कि 50000 रूपये किस बात के लगेगे तो कहने लगे कि बिना रूपये के कोई काम नही होता है। मैने कहा कि मेरा काम तो जायज है फिर मैं रिश्वत क्यो दूं तो कहने लगे कि बिना रिश्वत दिये कोई काम एस.डी.एम. कार्यालय नैनवा में नही होता है तथा एस.डी.एम. साहब बिना रिश्वत लिये काम नही करते है। अगर तू रिश्वत नही देगा तो तेरा काम नही होगा। मैने उनसे काफी विनती की लेकिन उन्होने रिश्वत देने पर ही काम करने हेतु कहाँ। मैं अपने जायज काम के बदले श्री आलोक जी रीडर एस.डी.एम. कार्यालय नैनवा को रिश्वत नही देना चाहता हु। मैं उन्हे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हु। मेरी आलोक जी रीडर साहब से किसी प्रकार की कोई पुरानी रंजीश व पैसो का लेन-देन बकाया नही है। मैं ज्यादा पढा लिखा नही हु। इस कारण रिपोर्ट मैने अपने मित्र श्री रामेश्वर मीना से लिखवायी है। मेरे मित्र रामेश्वर मीना ने मेरे कहे

अनुसार रिपोर्ट लिखी है तथा आलोक जी रीडर साहब मेरे मित्र के सामने ही मुझसे रिश्वत के सम्बन्ध में बातचीत करेगे। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढ़कर परिवादी श्री बादशाह मीना व सहपरिवादी श्री रामेश्वर मीना मीना को पढकर सुनाई गई तो परिवादी ने रिपोर्ट में अंकित तथ्यों का सही होना व रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर तथा अपने मित्र रामेश्वर मीना के हस्ताक्षर होना बताया तथा परिवादी ने बताया कि मैं आलोक जी रीडर साहब से बातचीत करने जाउगाँ तब मेरे साथ मेरे मित्र श्री रामेश्वर जी मीना को भी लेकर जाउगाँ। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दरियाप्त से मामला रिश्वत राशि मांग का होकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत आना प्रथम दृष्टया दृष्टि गोचर होता है। समय 5.40 पी0एम0 पर कार्यालय आलमारी में से सरकारी डिजिटल वायस रिकॉर्डर निकलवाकर उसमें एक खाली मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी व सहपरिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन व रखरखाव की विधि की समझाईस की जाकर उचित हिदायत दी गई । परिवादी ने बताया कि मैं आज ही जाकर आलोक जी रीडर साहब से मेर काम व रिश्वत मांग के सम्बन्ध में वार्ता करूंगा। इस पर कार्यालय के राजकुमार कानि. 160 को तलब कर परिवादी व सहपरिवादी से आपस में परिचय करवाया गया। मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड करने हेतु कानि0 राजकुमार को डिजीटल वॉयस रिकार्डर सुपुर्द कर परिवादी व सहपरिवादी व कानि0 राजकुमार को अपनी-अपनी मोटरसाईकिल से समय 5.45 पी.एम. पर वास्ते रिश्वत मांग सत्यापन कस्बा नैनवा रवाना किया जाता है। फर्द सुपर्दगी रिकार्डर पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। समय 11.30 पी.एम पर राजकुमार कानि मय परिवादी व सहपरिवादी के कार्यालय मे उपस्थित आया। कानि ने सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड पेश कर बताया कि कार्यालय से मैं और परिवादी श्री बादशाह उर्फ मोहब्बत मीना व सहपरिवादी श्री रामेश्वर मीना रवाना होकर सब्जीमंडी नैनवा पहुँचे। समय करीब 6.30 पी.एम. पर सहपरिवादी श्री रामेश्वर मीना ने अपने मोबाईल से आरोपी श्री आलोक जी रीडर साहब को फोन किया तो आरोपी आलोक नागर ने अपने मकान के पास स्थित गोगेश्वर महादेव मन्दिर पर आने हेतु कहा। मैने परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर परिवादी को सिपूर्द कर परिवादी व सहपरिवादी को आरोपी द्वारा बताये स्थान पर रवाना किया। मै वही पर सुरक्षित स्थान पर मुकिम रहा। परिवादी व सहपरिवादी करीब सवा घंटे बाद मेरे पास वापस आये। परिवादी ने मुझे चालू डिजिटल वाईस रिकार्डर प्रस्तुत किया जिसको लेकर मैने बन्द किया। परिवादी ने मेरे को बताया कि मेरी वार्ता आलोक जी नागर रीडर एस. डी.एम. कार्यालय नैनवा से हो गई है उन्होने मेरे वाद में स्टे आदेश करने की एवज में 50000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग की। जिस पर मन् अति.पुलिस अधीक्षक द्वारा पुछने पर परिवादी ने बताया कि मैं व मेरा मित्र रामेश्वर मीना मीना सब्जीमंडी नैनवा से श्री राजकुमार कानि. 160 ने डिजिटल वाईस रिकार्ड चालू कर मुझे सुपुर्द किया मै व मेरा मित्र आरोपी के बताये हुये स्थान गोगेश्वर महादेव मन्दिर नैनवा के पास पहुचे। जहाँ पर मेरे मित्र रामेश्वर जी मीना ने आलोक जी रीडर साहब को फोन किया कि हम दोनो गोगेश्वर महादेव मन्दिर के पास आ गये है। फिर थोडी देर बाद आलोक जी भी वहाँ पर आ गये थे। फिर आलोक जी मेरे मित्र रामेश्वर मीना को अपने साथ मुझसे कुछ दूरी पर लेकर चले गये तथा थोडी देर बातचीत करने के बाद मुझे हाथ का ईशारा कर अपने पास बुलाया तथा मेरे वाद के सम्बन्ध बातचीत की तथा मेरे वाद में स्टे करवाने की एवज में 50000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा रिश्वत राशि देने हेतु कहाँ तो मैने कहाँ कि अभी मेरे पास नही है कल सरसो बैचकर दे दूंगा। इस पर श्री आलोक जी रीडर साहब से मुझे कल दिन के 3 बजे के आस-पास रिश्वत राशि लेकर नैनवा बुलाया है। फिर मै व मेरा मित्र आलोक जी के पास से रवाना होकर श्री राजकुमार जी कानि. साहब के पास पहुचे व डिजिटल वॉयस रिकार्डर सुपुर्द किया था जिसको राजकुमार जी ने बंद कर अपने पास रख लिया था। रवाना होकर आपके कार्यालय पर आये है। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु कर मेमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ता को सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये अनुसार एवं मजमून रिपोर्ट मे वर्णित तथ्यों की पुष्टि होना पाया गया, रिश्वत राशि मांग का सत्यापन होना पाया गया। दिनांक 20.03.2025 समय 1 ए.एम पर परिवादी श्री बादशाह उर्फ मोहब्बत मीना व सहपरिवादी श्री रामेश्वर मीना को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कल दिनांक 20.03.2025 को ए.सी.बी. चौकी पर उपस्थित आने हेतु उचित हिदायत मुनासिब कर कार्यालय हाजा से रूखस्त किया। दिनांक 20.03.2025 समय 11.45 ए.एम पर ट्रेप कार्यवाही प्रस्तावित होने से ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्रीमान निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग टोक के नाम तहरीर लिखकर दो स्वतन्त्र गवाह तलबी हेतु श्री आसिफ खान सहायक उपनिरीक्षक को रवाना किया गया। समय 12.10 पी.एम. पर परिवादी श्री बादशाह उर्फ मोहब्बत पुत्र मोतीलाल मीना निवासी रघुनाथगंज पोस्ट बालापुरा तहसील नैनवा जिला बूंदी उपस्थित आया। जिसने बताया कि मेरा मित्र श्री रामेश्वर मीना के कोई काम आ जाने से वह नही आया है। समय 12.20 पी.एम पर श्री आसिफ खान सहायक उपनिरीक्षक कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग टोक से मय दो स्वतन्त्र गवाह श्री महावीर पुत्र गोपाल लाल जाति जाट उम्र 30 साल निवासी अरनिया नील महेन्दवास टोक हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधी विभाग टोक मोबाईल नम्बर 9784319011 एवं श्री हेमन्त कुमार वैष्णव पुत्र श्री रामप्रसाद जाति वैष्णव उम्र 31 साल निवासी गठिया तहसील मेडता सिटी नागौर हाल कनिष्ठ सहायक हाल कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधी विभाग टोक मोबाईल नम्बर 9950556972 उपस्थित कार्यालय आये। उक्त दोनो गवाहान को आने के मन्तव्य से अवगत कराया गया। कार्यालय पर उपस्थित परिवादी श्री बादशाह

उर्फ मोहब्बत मीना से आपस मे परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया एवं पढाया जाकर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 19.03.2025 के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे मेमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ता को चालूकर सुनाया गया। गवाहान ने दर्ज वार्ता को सुनकर रिश्वत राशि का मांग सत्यापन होना बताया। उक्त दोनों गवाहान ने रिपोर्ट को पढ व समझ कर की जाने वाली कार्यवाही में उपस्थित रहने हेतु अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता का मेमोरी कार्ड मय वायस रिकार्डर के अपने पास सुरक्षित रखा गया। समय 12.30 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय मे उपस्थितशुदा परिवादी श्री बादशाह उर्फ मोहब्बत पुत्र मोतीलाल मीना निवासी रघुनाथगंज पोस्ट बालापुरा तहसील नैनवा जिला बूंदी को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा अपने पास से 500-500 रूपये के नोटों का 1 बण्डल कुल 100 नोट कुल राशि 50,000 रूपये प्रस्तुत किये। तत्पश्चात उक्त नोटों के नम्बरों को फर्द में अंकित करवाये जाकर कार्यालय की अलमारी से फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी श्री भूपेन्द्र कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी से निकलवाई जाकर टेबल पर अखबार बिछाकर श्री भूपेन्द्र कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी से ही उक्त नोटों के दोनो तरफ फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी बादशाह उर्फ मोहब्बत के पहनी हुयी पेन्ट की दाहिनी जेब की तलाशी स्वतत्र गवाह श्री महावीर जाट से लिवाई गयी तो उसमें कोई भी वस्तु नहीं होना पाया गया, जिस पर उक्त पावडर लगी हुयी राशि परिवादी के पहनी हुयी पेन्ट की दाहिनी जेब में श्री भूपेन्द्र कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी से रखवायी गयी। तत्पश्चात एक साफ डिस्पोजल के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्री भूपेन्द्र कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी की उंगलियों को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोल्फ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी रिश्वत में उक्त राशि को अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो उक्त नोटों व थैली पर लगा फिनोलफ्थलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपीं ने रिश्वती राशि अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री भूपेन्द्र कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी से फिकवाया तथा फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार व डिस्पेजल गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उनसे हाथ नहीं मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे तथा परिवादी को अपने सिर पर साफी बांध कर लेन-देन होने का ईशारा करने हेतु समझाया गया। गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। फर्द दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पृथक से तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी दौराने जरिये दूरभाष तलबशुदा प्राईवेट वाहन मय चालक के चौकी हाजा पर उपस्थित आया। समय 1.50 पी.एम पर राजकुमार कानि को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय नया मेमोरी कार्ड सिपूर्द कर परिवादी श्री बादशाह उर्फ मोहब्बत मीना, राजकुमार कानि. 160, आसिफ खान सहायक उप निरीक्षक, श्री महावीर जाट स्वतंत्र गवाहान तथा सरकारी नया मेमारी कार्ड 64 जीबी को सरकारी कैमेरे में डालकर श्रीमति नमिता चौधरी महिला कानि. 316 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि बीएनएसएस के नवीन प्रावधानो के अनुसार मौके की विडियोग्राफी करवायी जाना आवश्यक होने से विडियोग्राफी कर मैमोरी कार्ड पेश करने की हिदायत की गई तथा प्राईवेट वाहन से नैनवा के लिये रवाना कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झाबर मल मय ट्रैप पार्टी सदस्य श्री ईश्वर प्रकाश कानि. 256, जलसिंह कानि. 248 स्वतंत्र गवाहान श्री हेमन्त कुंमार मय लेपटॉप प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व आावश्यक लेखन सामग्री के सरकारी वाहन मय चालक श्री गणेश सिंह 375 के नैनवा की ओर रवाना हुआ। चौकी हाजा पर श्री भूपेन्द्र कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी को छोडा गया। समय 3.45 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा नैनवा से पहले बीजलबा मोड पर रूका। परिवादी ने मेरे पास आकर मुझे बताया कि मेरी अभी रीडर साहब के बारे में जानकारी की है तो उन्होने मुझे 4 बजे के आस-पास गोगेश्वर महादेव मन्दिर के पास बुलाया है। मैं उनको गोगेश्वर महादेव मन्दिर पर पहुचकर फोन करूगॉ। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी के रवाना गोगेश्वर महादेव मन्दिर रवाना हुआ। समय 4.05 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय परिवादी के नैनवा बाईपास रोड गोगेश्वर महादेव मन्दिर के पास पहुचा तथा समय करीब 4.10 पी.एम. पर परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी रीडर साहब के मोबाईल नम्बर [redacted] पर फोन करवाया तो आरोपी ने गोगेश्वर महादेव मन्दिर पर 5 मिनट बाद आने हेतु कहा। जिस पर राजकुमार कानि. से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के चालू कराकर लेन देन वार्ता को

रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी को सिपूर्द कर पैदल-पैदल गोगेश्वर महादेव मन्दिर पर भेजा। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान गोगेश्वर महादेव मन्दिर के पास सुरक्षित स्थान पर परिवादी के इन्तजार मे मुकिम रहे। समय 06.15 पी.एम पर दर्ज रहे कि परिवादी बादशाह उर्फ मोहब्बत पुत्र श्री मोतीलाल मीना उम्र 35 साल निवासी रघुनाथगंज पोस्ट बालापुरा तहसील नैनवा जिला बूंदी ने समय 4.21 पी.एम. पर गोगेश्वर महादेव मन्दिर के पास आम रोड पर अपने सिर पर साफी बांधकर रिश्वत लेन-देन का ईशारा किया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उपरोक्त दोनो स्वतन्त्र गवाह मय ट्रैप पार्टी के सदस्य, श्री आसिंफ खान सहायक उप निरीक्षक, राजकुमार कानि. 160, जलसिंह कानि. 248, ईश्वर प्रकाश कानि. 256, श्रीमति नमिता महिला कानि. 316, मय प्राईवेट वाहन सरकारी बोलेरो मय ट्रैप बाक्स के परिवादी के पास पहुचा। परिवादी ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के चालु हालत मे प्रस्तुत किया जिसको लेकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कब्जे में लेकर बंद कर अपने पास रखा, जहाँ पर परिवादी के पास एक व्यक्ति खडा हुआ था। जिसकी और परिवादी ने ईशारा कर कहा कि इस व्यक्ति ने आकर मुझसे कहा कि मुझे रीडर साहब ने भेजा है, उनके रूपये मुझे दे दो, जो पास ही एक स्कूटी पर बैठा था जिसने मेरी और ईशारा कर रूपये देने किया। उक्त व्यक्ति मुझे साईड में ले गया तथा मुझसे रूपये देने हेतु कहा। इस पर मैने 50000 रूपये ईशारा रीडर साहब आलोक जी के कहेनुसार/ ईशारानुसार मैने रिश्वत राशि 50000 रूपये इस आदमी को दे दिये। जिसने रूपये अपने हाथो में लेकर अपनी पेन्ट की बायी जेब में रख लिये इसके पश्चात ए.सी.बी. टीम को देखकर निर्धारित ईशारा सिर पर साफी बांधकर किया। मुझे इस व्यक्ति का नाम पता मालूम नही है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी के पास खडे व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उसका परिचय पूछा तो उस व्यक्ति ने अपना नाम लक्ष्मीकांत पुत्र श्री नंदलाल खन्ना जाति पंजाबी खत्री उम्र 42 साल निवासी वार्ड न. 4 नैनवा, खारा कुआ पुलिस थाना नैनवा हाल प्राईवेट सफाईकर्मी कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा जिला बूंदी होना बताया तथा प्राईवेट कार्य करना बताया। जिससे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त करने के सम्बन्ध में पूछा तो बताया कि अभी-अभी मुझे हमारे रीडर साहब श्री मारूती नन्दन नागर जी ने मुझे अपनी स्कूटी पर कार्यालय से बैठाकर गोगेश्वर महादेव मन्दिर के सामने लेकर आये तथा मुझसे कहा कि वह जो सामने काली शर्ट पहने आदमी खडा है उससे मेरे रूपये लेकर आना है मैं घर चल रहा हु तू घर पर आ जाना। मुझे नही पता कि यह किस बात के रूपये है। इस पर परिवादी ने कहाँ कि यह सही बोल रहा है इसने मेरे को रीडर साहब से जो स्कूटी पर बैठे थे कि ओर ईशारा कर रूपये देने की स्वीकृति दी। आरोपी श्री लक्ष्मीकांत से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पूछा कि मारूती नन्दन रीडर साहब कहा है तो कहने लगा कि इस मन्दिर के पास में ही उसका घर है वही पर होगे। इस पर आरोपी लक्ष्मीकांत का दाहिना हाथ श्री राजकुमार कानि. 160 व बाया हाथ श्री आसिफ खान सहायक उप निरीक्षक से पोचे से पकडवाकर आरोपी लक्ष्मीकांत को हमराह लेकर मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी श्री बादशाह उर्फ मोहब्बत मय ए.सी.बी. टीम के आरोपी मारूती नन्दन के घर के बाहर पहुचा तो आरोपी के घर के बाहर गली में एक व्यक्ति खडा हुआ मिला। जिसकी और परिवादी श्री बादशाह उर्फ मोहब्बत मीना व लक्ष्मीकांत ने ईशारा कर बताया कि यही रीडर साहब मारूती नन्दन जी है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम मारूती नन्दन पुत्र श्री रामदेव नागर जाति धाकड उम्र 32 साल निवासी रविन्द्र कॉलोनी नैनवा पुलिस थाना नैनवा हाल वरिष्ठ सहायक (रीडर) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा जिला बूंदी होना बताया। जिससे परिवादी से कल दिनांक 19.03.2025 को रिश्वत राशि की मांग करने तथा रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु लक्ष्मीकांत को परिवादी के पास भेजने के सम्बन्ध में पूछा तो आरोपी ने कहा कि मैने कोई रिश्वत राशि की मांग नही की है तथा न ही मैंने लक्ष्मीकांत को परिवादी के पास रिश्वत राशि लेने हेतु भेजा है। परिवादी से मौके पर पूछा तो परिवादी ने बताया कि रीडर साहब का सही नाम पता नही था तो मैने आपको जो रिपोर्ट दी थी उसमें आलोक नागर लिखवाया था क्योकि मैं जब रीडर साहब मिला तो उन्होने अपना नाम आलोक ही बताया था। परिवादी ने बताया कि मैं कल दिनांक 19.03.2025 को रीडर साहब से गोगेश्वर महादेव मन्दिर के पास मिला तथा मेरे साथ मेरा मित्र रामेश्वर मीना भी था। फिर मैंने रीडर साहब से मेरे वाद में स्टे करवाने हेतु कहाँ तो उन्होने मुझसे 50000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की थी जो आपके वायस रिकार्डर में रिकार्ड हुई थी। आरोपी के घर के आस-पास भीड एकत्रित हो जाने तथा आम रास्ता होने से सुरक्षा की दृष्टि से आरोपी मारूती नन्दन को हमराह लेकर मय स्वतंत्र गवाहान मय टीम मय परिवादी मय आरोपी लक्ष्मीकांत मय प्राईवेट व सरकारी वाहन के मौक से रवाना होकर समय 5.15 पी.एम. पर पुलिस थाना नैनवा जिला बूंदी पहुचा। जहाँ पर थानाधिकारी कक्ष में श्री कमलेश कुमार शर्मा थानाधिकारी पुलिस थाना नैनवा उपस्थित मिले। जिनको मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उनके कक्ष में अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने के लिये उपयोग करने हेतु मौखिक स्वीकृति चाही तो थानाधिकारी नैनवा ने मौखिक स्वीकृति दी। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी मारूती नन्दन नागर से पुनः परिवादी से रिश्वत राशि की मांग कर आज रिश्वत राशि 50000 रूपये ग्रहण करने के लिये अपने परिचित श्री लक्ष्मीकांत को परिवादी के पास भेजने के सम्बन्ध में पूछताछ की तो आरोपी चुप हो गया तथा कहने लगा कि गलती हो गई। तत्पश्चात आरोपी श्री मारूती नन्दन नागर रीडर से पुनः तसल्ली देकर पूछा तो बताया कि बादशाह मीना ने एक वाद उपखण्ड कार्यालय नैनवा में कर रखा है जिसमें कल दिनांक 21.03.2025 नियत है। कल शाम को बादशाह मीना व रामेश्वर मीना गोगेश्वर महादेव मन्दिर के पास मिले थे जिन्होने

मुझसे अपने वाद में स्टे करवाने हेतु कहा था तो मैने उससे कहा अगर वाद मे स्टे करवाना है तो आपको 50000 रूपये देने पडेगे। इस पर बादषाह मीना ने आज मुझे रिश्वत राशि देने हेतु कहा था। आज मुझे बादशाह मीना ने फोन कर बताया कि मैं आपसे कल हुई वार्तानुसार गोगेश्वर महादेव मन्दिर के पास खडा हुआ हु। इस पर उसने मुझसे कहा कि मैं आ रहा हु। इस पर मैं व मेरा परिचित व्यक्ति लक्ष्मीकांत खन्ना जो हमारे ऑफिस में एवं एस.डी.एम. मैडम के आवास पर साफ-सफाई का कार्य करता है जिसको लेकर मैं मेरी स्कूटी से गोगेश्वर महादेव मन्दिर के पास पहुचा जहाँ पर मैंने लक्ष्मीकांत को बादशाह के पास उतारकर बादशाह की और ईशारा किया कि रूपये लक्ष्मीकांत को दे देना तथा इसके बाद मैं स्कूटी लेकर मेरे घर की और चला गया तथा लक्ष्मीकांत को मैने बादशाह से रूपये लेकर घर पर आने हेतु कहां था। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री लक्ष्मीकांत से रिश्वत राशि ग्रहण करने के सम्बन्ध में पूछा तो बताया कि मुझे आज ऑफिस से मारूती नन्दन जी रीडर ने अपनी स्कूटी पर बैठाकर गोगेश्वर महादेव मन्दिर के पास लेकर गये तथा रोड पर ही खडे व्यक्ति की और ईशारा कर कहां कि इससे 50000 रूपये लेकर मेरे घर पर आ जाना इसके बाद मारूती नन्दन जी रीडर साहब स्कूटी लेकर चले गये जब मैं रीडर साहब के कहेनुसार बादशाह मीना के पास पहुचा तथा 50000 रूपये रीडर साहब द्वारा मंगवाने की कहाँ तो बादशाह मीना ने मुझे 50000 रूपये रीडर साहब के ईशारे के अनुसार दिये जिनको अपने हाथो में लेकर मैने अपनी पेन्ट की बायी जेब में रख लिये थे। श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर के निर्देशानुसार श्री पारसमल उप अधीक्षक पुलिस ए.सी.बी. भीलवाडा से इमदाद हेतु उपस्थित आये, जिनको एस.डी.एम. कार्यालय नैनवा पहुचकर परिवादी श्री बादशाह मीना के दावे से सम्बन्धित पत्रावलियाँ एवं उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड नैनवा को पत्रावलियाँ सहित पुलिस थाना नैनवा पर उपस्थित होने के निर्देश दिये। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस थाना नैनवा परिसर से श्री राजकुमार कानि. 160 से साफ पानी मंगवाया गया तथा प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन दिखाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थित गवाहान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी लक्ष्मीकांत खन्ना के दांहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को घोल डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी झाईदार हुआ। जिसे हाजरीन को दिखाने पर हल्का गुलाबी झाईदार रंग होना स्वीकार किया। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट कराये जाकर मार्क RH-1 व RH-2 अंकित कर चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री लक्ष्मीकांत खन्ना के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग मटमेला हुआ, जिसे हाजरीन को दिखाने पर गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क LH-1 व LH-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात आरोपी लक्ष्मीकांत खन्ना की तलाशी गवाह श्री महावीर जाट से लिवाई गई तो गवाह श्री महावीर जाट ने आरोपी लक्ष्मीकांत खन्ना की पहनी हुई पेन्ट की बायी जेब मे से एक 500-500 रूपये की गड्डी निकाल कर पेश की। जिस पर पूर्व में मुर्तिब फर्द दृष्टांत एवं सुपर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरो का दोनो गवाहान के समक्ष फर्द से मिलान करवाया तो उक्त नोटो के नम्बर हुबहु होना पाये गये। उक्त सभी रिश्वत राशि नोटो को एक कागज के लिफाफे मे रखकर सिल्ड चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क N अंकित कर कब्जे एसीबी लिये। चूकिं रिश्वत राशि नोटो को आरोपी श्री मारूती नन्दन नागर द्वारा अपने हाथो में नही लिया था इसलिये आरोपी मारूती नन्दन रीडर के हाथो की धुलाई नही करवाई गई। तत्पश्चात आरोपी श्री लक्ष्मीकांत खन्ना के वक्त घटना पहनी हुयी पेन्ट बरंग सलेटी को ससम्मान उतरवायी जाकर एक पजामें की व्यवस्था कर पहनाया गया। तत्पश्चात एक प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थित गवाहान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त घोल में आरोपी की पहनी हुये पेन्ट की बायी जेब को उलटकर स्वतंत्र गवाह से धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क P-1 व P-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा पेन्ट बंरग सलेटी की जेब जिसमे से रिश्वत राशि बरामद हुई कि जेब को सूखवा कर पेन्ट को सफेद कपडे की थैली मे रखकर सिलचिट कर मार्क च् अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री मारूती नन्दन नागर रीडर के नैनवा स्थित आवास की तलाशी हेतु निर्देशानुसार श्रीमति प्रेरणा शेखावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ए.सी.बी बूंदी को निवेदन किया गया। निर्देशानुसार श्री पारसमल उप अधीक्षक पुलिस उपखण्ड कार्यालय नैनवा से मय जाप्ता उपस्थित थाना आये तथा श्रीमति प्रीति मीना उपखण्ड अधिकारी नैनवा परिवादी श्री बादशाह उर्फ मोहब्बत मीना के दावे से सम्बन्धित मूल पत्रावलियाँ लेकर उपस्थित हुये। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा गवाहान व परिवादी के समक्ष श्रीमति प्रीति मीना से परिवादी के उपखण्ड न्यायालय नैनवा में लम्बित वाद के सम्बन्ध में जानकारी चाही तो श्रीमति प्रीति मीना ने बताया कि बादशाह पुत्र मोती जाति मीना निवासी रघुनाथगंज तहसील नैनवा जिला बूंदी व अन्य वादीगणो द्वारा आर. टी. एक्ट की धारा 212 का प्रार्थना पत्र दिनांक 09.07.2024 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा में संजना बनाम अन्तराम के नाम से प्रार्थना पत्र 39/2024 दायर हुई है एवं दावा

संख्या 43/2024 अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट संजना बनाम अन्तराम दिनांक 09.07.2024 को कार्यालय में दायर हुआ है। आप द्वारा जानकारी चाहने पर बताती हु कि एक प्रार्थना पत्र संख्या 39/24 अस्थायी निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में है तथा दावा संख्या 43/2024 बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है। जिसमें दिनांक 03.01.2025 को प्रतिवादीगणो को नोटिस जारी हो चुके है। लेकिन अभी नोटिस तामिल होकर वापस न्यायालय में प्राप्त नही हुये है तथा उक्त दोनो ही मामलो में आगामी तारीख पेषी दिनांक 21.03.2025 नियत है। परिवादी श्री बादशाह मीना के लम्बित दावा एवं प्रार्थना पत्र में रीडर श्री मारूती नन्दन नागर द्वारा स्टे दिलवाने के लिये आपके नाम से परिवादी से 50000 रूपये रिश्वति राशि की मांग कर आज 50000 रूपये अपने परिचित एवं कार्यालय के प्राईवेट सफाईकर्मी लक्ष्मीकांत खन्ना को दिलवाये है के सम्बन्ध में पूछा तो श्रीमति प्रीति मीना उपखण्ड अधिकारी नैनवा ने बताया कि मुझे मेरे रीडर मारूती नन्दन द्वारा किसी व्यक्ति से 50000 रूपये ली हो तो मेरी जानकारी में नही है और नही मैने मारूती नन्दन रीडर को श्री बादशाह मीना या किसी प्रतिवादीगण से रिश्वत लेने हेतु नही कहा है। मुझे मेरे रीडर द्वारा स्टे देने के नाम पर रिश्वति राशि लेने की जानकारी ए.सी.बी. टीम मेरे कार्यालय में आने के पश्चात ही पता चला है। मैने कभी भी अपने रीडर या अन्य स्टाफ को किसी भी कार्य के लिये रिश्वति राशि लेने हेतु नही कहा है। परिवादी श्री बादशाह मीना के लम्बित पत्रावलियो की प्रमाणित फोटोप्रति चाहने पर श्रीमति प्रीति मीना ने उक्त दोनो पत्रावलियो की प्रमाणित फोटोप्रतियाँ पेश की। जिस पर गवाहान व सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री बादशाह मीना द्वारा पूर्व मे रिश्वति राशि लेन देन की दर्ज वार्ता का सुपुर्दशुदा ड़िजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को दोनो गवाहान एवं परिवादी के समक्ष सुना गया तो परिवादी श्री बादशाह मीना व आरोपी श्री लक्ष्मीकांत के मध्य रिश्वत लेनदेन सम्बन्धित वार्ता की ताईद हुई। रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट एवं पैनड्राईव अकब से तैयार करवायी जायेगी। उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो से पाया कि परिवादी श्री बादशाह उर्फ मोहब्बत मीना पुत्र मोती जाति मीना निवासी रघुनाथगंज तहसील नैनवा जिला बूंदी व अन्य वादीगणो द्वारा आर. टी. एक्ट की धारा 212 का प्रार्थना पत्र दिनांक 09.07.2024 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा में संजना बनाम अन्तराम के नाम से प्रार्थना पत्र 39/2024 दायर हुई है एवं दावा संख्या 43/2024 अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट संजना बनाम अन्तराम दिनांक 09.07.2024 को पेश किया गया था। परिवादी द्वारा अपने लम्बित कार्य के सम्बन्ध में दिनांक 17.03.2025 को एस.डी.एम. कार्यालय नैनवा में जाकर रीडर श्री मारूती नन्दन नागर से सम्पर्क किया तो रीडर द्वारा परिवादी के लम्बित प्रार्थना पत्र एवं दावे में स्टे करवाने के नाम पर 50000 रूपये रिश्वति राशि की मांग की जिस पर ब्यूरो द्वारा आरोपी से दिनांक 19.03.2025 को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया तो आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि मांग की गई। आज दिनांक 20.03.2025 को आरोपी श्री मारूती नन्दन द्वारा रिश्वत राशि मांग के अनुसरण में 50000 रूपये अपने परिचित एव एस. डी.एम. कार्यालय नैनवा के प्राईवेट सफाईकर्मी श्री लक्ष्मीकांत को दिलवाये जिस पर श्री लक्ष्मीकांत उक्त रिश्वत राशि 50000 रूपये अपने हाथो में ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बायी जेब में रख लिये। उक्त रिश्वत राशि 50000 रूपये आरोपी श्री लक्ष्मीकांत की पहनी हुई पेन्ट की बायी जेब से बरामद हुये तथा आरोपी लक्ष्मीकांत के दोनो हाथो का धोवण जिसमें दाहिने हाथ का धोवण हल्का गुलाबी झाईदार व बाये हाथ का धोवण गुलाबी होना पाया गया। इस प्रकार आरोपीगण द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर स्वंय के लिये अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से आपराधिक षडयंत्रपूर्वक उक्त रिश्वत राशि अपने परिचित श्री लक्ष्मीकांत खन्ना के मार्फत प्राप्त की। आरोपीगणो का उक्त कृत्य अपराध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बी.एन.एस. 2023 का घटित करना पाया जाता है। आरोपीगण 1. मारूती नन्दन पुत्र श्री रामदेव नागर जाति धाकड उम्र 32 साल निवासी रविन्द्र कॉलोनी नैनवा पुलिस थाना नैनवा हाल वरिष्ठ सहायक (रीडर) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा जिला बूंदी 2. श्री लक्ष्मीकांत पुत्र श्री नंदलाल खन्ना जाति पंजाबी खत्री उम्र 42 साल निवासी वार्ड न. 4 नैनवा, खारा कुआ पुलिस थाना नैनवा हाल प्राईवेट सफाईकर्मी कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा जिला बूंदी को पृथक से जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाता है। उक्त सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही की बी.एन.एस.एस. के प्रावधानानुसार ऑडियो विडियो रिर्काडिंग कार्यालय के सरकारी कैमरे में मैमोरी कार्ड डालकर महिला कानि. श्रीमति नमिता चौधरी से करवाई गई। उक्त कार्यवाही में प्रकाश की उपयुक्त व्यवस्था रही। उक्त फर्द मेरे निर्देशन में कानि. 256 श्री ईश्वर प्रकाश ए.सी.बी. टोक से कार्यालय लेपटाप से तैयार करवायी गयी। उक्त फर्द समय 6.15 पी.एम. पर प्रारम्भ कर समय 8.45 पी.एम. पर समाप्त की गई। समय 9 पी.एम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी मारूती नन्दन पुत्र श्री रामदेव नागर जाति धाकड उम्र 32 साल निवासी रविन्द्र कॉलोनी नैनवा पुलिस थाना नैनवा हाल वरिष्ठ सहायक (रीडर) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा जिला बूंदी को जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया। समय 9.20 पी. एम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी लक्ष्मीकांत पुत्र श्री नंदलाल खन्ना जाति पंजाबी खत्री उम्र 42 साल निवासी वार्ड न. 4 नैनवा, खारा कुआ पुलिस थाना नैनवा हाल प्राईवेट सफाईकर्मी कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा जिला बूंदी को जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया। समय 09.45 पी.एम. पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 19.03.2025 की जो ब्यूरो के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड मे दर्ज है। उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को दोनो गवाहान के समक्ष श्रीमति प्रीति मीना उपखण्ड अधिकारी नैनवा को चलाकर सुनाई गई तो श्रीमति प्रीति मीना उपखण्ड अधिकारी नैनवा ने

उक्त वार्ता को सुनकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता मे एक वार्ता मे श्री मारूती नन्दन नागर रीडर एस.डी.एम. कार्यालय नैनवा की होना बताया। फर्द पहचान आवाज पृथक से मुर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। समस्त ट्रेप कार्यवाही की श्रीमति नमिता चौधरी महिला कानि. 316 से बीएनएसएस के प्रावधानो के अनुसार विडियोगाफ्री करवायी गई। समय 11 पी.एम. पर तलबीशुदा श्री पारसमल उप अधीक्षक पुलिस ए.सी.बी. भीलवाडा मय टीम के इमदाद हेतु उपस्थित हुये थे, बाद कार्यवाही जाय तैनाती रवाना किया गया। इस समय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतन्त्र गवाह, मय परिवादी मय आरोपीगण मारूती नन्दन व लक्ष्मीकांत खन्ना मय जाप्ता मय जप्तशुदा आर्टीकल व रिश्वत राशि मय सामग्री मय प्राईवेट व सरकारी वाहन के पुलिस थाना नैनवा जिला बूंदी से एसीबी कार्यालय टोक के लिए रवाना हुआ। दिनांक 21.03.2025 समय 12.45 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतन्त्र गवाह, मय परिवादी मय आरोपीगण मारूती नन्दन व लक्ष्मीकांत खन्ना मय जाप्ता मय जप्तशुदा आर्टीकल व रिश्वत राशि मय सामग्री मय प्राईवेट व सरकारी वाहन के उपस्थित कार्यालय आया। कार्यालय हाजा पर सहपरिवादी श्री रामेश्वर मीना मीना उपस्थित मिला। समय 1 ए.एम. पर श्री आसिफ खान सहायक उप निरीक्षक, जलसिंह कानि. 248 मय सरकारी वाहन मय चालक गणेश सिंह 375 के चिकित्सा अधिकारी सआदत चिकित्सालय टोक व थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली जिला टोक के नाम तहरीर मुर्तिब कर आरोपीगण मारूती नन्दन व लक्ष्मीकांत खन्ना का राजकीय चिकित्सालय में स्वास्थ्य परिक्षण करवा बाद जांच पुलिस थाना कोतवाली में सुरक्षित सुरक्षार्थ जमा करवाने की हिदायत कर रवाना किया। समय 1.10 ए.एम. पर दिनांक 19.03.2025 को परिवादी श्री बादशाह उर्फ मोहब्बत मीना व सहपरिवादी रामेश्वर मीना मीना व आरोपी मारूती नन्दन रीडर के मध्य हुई रूबरू रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो ब्यूरो के उक्त वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज हैं। वॉईस रिकॉर्डर को चालुकर गवाहान व परिवादी के समक्ष लैपटॉप से कनेक्ट कर शब्द ब शब्द सुन श्री राजकुमार कानि. 160 की मदद से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के चार सीडियो में तैयार करवायी गयी। तीन सीडियो को अलग-अलग कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट कर मार्क A-1, A-2, A-3 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक सी.डी को अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे मे रखकर मार्क A-4 अंकित किया गया। इसी दौराने श्री आसिफ खान स.उ.नि. मय जलसिंह कानि. 248 मय सरकारी वाहन मय चालक गणेश सिंह के आरोपीगण मारूती नन्दन व लक्ष्मीकांत का स्वास्थय परीक्षण करवाकर आरोपीगणो को कोतवाली टोक में सुरक्षार्थ जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर हाजिर आये। समय 4 ए.एम. पर दिनांक 21.03.2025 बरूबरू परिवादी श्री बादशाह उर्फ मोहब्बत मीना व आरोपी लक्ष्मीकांत के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन देन वार्ता जो ब्यूरो के उक्त वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज हैं। वॉईस रिकॉर्डर को चालुकर गवाहान व परिवादी के समक्ष लैपटॉप से कनेक्ट कर शब्द ब शब्द सुन श्री राजकुमार कानि. 160 की मदद से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता चार सीडियो में तैयार करवायी गयी। तीन सीडियो को अलग-अलग कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट कर मार्क B-1, B-2, B-3 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक सी.डी. अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे मे रखकर मार्क B-4 अंकित किया गया। समय 5 ए.एम. पर मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 19.03.2025 व रिश्वत लेन-देन वार्ता दिनांक 20.03. 2025 मे परिवादी श्री बादशाह उर्फ मोहब्बत मीना, सहपरिवादी श्री रामेश्वर मीना व आरोपीगण मारूती नन्दन रीडर एस. डी.एम. कार्यालय नैनवा व सह आरोपी लक्ष्मीकांत के मध्य हुई वार्ताओ के मूल मेमोरी कार्डस 16 GB KDM कम्पनी के नंग 2 को अलग-अलग कंवर में रख कर सफेद कपडे की थैली में रखकर मार्क M अंकित कर सिल चिटकर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया। फर्द तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 5.30 ए.एम पर बीएनएसएस की धारा 105 में अंकित प्रावधानो के अनुसार ट्रेप कार्यवाही के दौरान मौके पर श्रीमति नमिता चौधरी महिला कानि. 316 से विडियोग्राफी करवायी गयी थी। श्रीमति नमिता चौधरी ने मौके पर की गई विडियोग्राफी का मूल मेमोरी कार्ड प्रस्तुत किया। श्री राजकुमार कानि. 160 की मदद से मैमोरी कार्ड को सरकारी लेपटोप से कनैक्ट कर उक्त विडियो के 4 पेनड्राईव 16-16 GB KDM कम्पनी के तैयार करवाये गये। तीन पेनड्राईव को कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट कर मार्क C-1, C-2, C-3 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे मे रखकर मार्क C-4 अंकित किया गया। मूल मेमोरी कार्ड को कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट कर मार्क M-1 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द पृथक से मुर्तिब की गई। समय 6.30 ए.एम पर जब्तशुदा सिल्डचिट रिश्वती राशि 50000 रूपये मार्क N सिल्ड चिट शुदा धोवन की शिशियां मार्क RH-1, RH-2, LH-1, LH-2, P-1, P-2, आरोपी श्री लक्ष्मीकांत की पहनी हुई पेन्ट मार्क- P सिल्डचिट शुदा, 06 सीडियाँ सफेद पृथक-पृथक कपडे की थैली में सिल्डचिट मार्क A-1, A-2, A-3. B-1, B-2, B-3 तथा सफेद कपडे की थैली में सिल्ड चिट शुदा मेमोरी कार्डस मार्क- M तीन पेनड्राईव को पृथक-पृथक कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट कर मार्क C-1, C-2, C-3 तथा सफेद कपडे की थैली में सिल्ड चिट शुदा मेमोरी कार्डस मार्क- M-1, आरोपी मारूती नन्दन नागर की जमा तलाशी में मोबाईल फोन वन प्लस 11आर इत्यादी को मालखाना इन्चार्ज श्री आसिफ खान स.उ.नि. को सुपुर्द कर कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाये। समय 7 ए.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही उपयोग में ली गई ब्रास-सील का अवलोकन करवाया जाकर फर्द पर नमुना सील अंकित कर ब्रास सील को कार्यालय परिसर के बाहर पत्थर से तुड़वाई जाकर नष्ट की गई। फर्द नमुना व

नाषानी नमुना सील मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़ कर सुनाई गयी, सुन-समझ कर व पढ़कर सही मान अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 7.45 ए.एम. पर परिवादी श्री बादशाह उर्फ मोहब्बत मीना, सहपरिवादी श्री रामेश्वर मीना व दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री महावीर जाट व श्री हेमन्त कुमार को हिदायत कर कार्यालय से रूखसत किया गया। समय 8.15 ए.एम. पर श्री राजकुमार कानि. 160 ने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत लेन देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनाने एवं उक्त मेमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ताओ का सीडियो में तैयार करने तथा मौके पर करवायी गई, बी.एन.एस.एस. के प्रावधानो के अनुसार मौके पर करवायी गई, मेमोरी कार्ड से पैनड्राईव तैयार करने के संबध मे धारा 63(4)(ग) के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जो बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। समय 8.40 ए.एम पर रिश्वत मांग सत्यापन एवं रिश्वत लेन देन वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट, मेमोरी कार्ड, सीडियॉ एवं मौके की विडियोगाफ्री के मेमोरी कार्ड, पैनड्राईव के संबध मे धारा 63(4)(ग) साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र शामिल पत्रावली किया गया। उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो से पाया कि परिवादी श्री बादशाह उर्फ मोहब्बत मीना पुत्र मोती जाति मीना निवासी रघुनाथगंज तहसील नैनवा जिला बूंदी व अन्य वादीगणो द्वारा आर. टी. एक्ट की धारा 212 का प्रार्थना पत्र दिनांक 09.07.2024 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा में संजना बनाम अन्तराम के नाम से प्रार्थना पत्र 39/2024 दायर हुई है एवं दावा संख्या 43/2024 अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट संजना बनाम अन्तराम दिनांक 09.07.2024 को पेश किया गया था। परिवादी द्वारा अपने लम्बित कार्य के सम्बन्ध में दिनांक 17.03.2025 को एस.डी.एम. कार्यालय नैनवा में जाकर रीडर श्री मारूती नन्दन नागर से सम्पर्क किया तो रीडर द्वारा परिवादी के लम्बित प्रार्थना पत्र एवं दावे में स्टे करवाने के नाम पर 50000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की जिस पर ब्यूरो द्वारा आरोपी से दिनांक 19.03.2025 को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया तो आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि मांग की गई। आज दिनांक 20.03.2025 को आरोपी श्री मारूती नन्दन द्वारा रिश्वत राशि मांग के अनुसरण में 50000 रूपये अपने परिचित एव एस.डी.एम. कार्यालय नैनवा के प्राईवेट सफाईकर्मी श्री लक्ष्मीकांत को दिलवाये जिस पर श्री लक्ष्मीकांत उक्त रिश्वत राशि 50000 रूपये अपने हाथो में ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बायी जेब में रख लिये। उक्त रिश्वत राशि 50000 रूपये आरोपी श्री लक्ष्मीकांत की पहनी हुई पेन्ट की बायी जेब से बरामद हुये तथा आरोपी लक्ष्मीकांत के दोनो हाथो का धोवण जिसमें दाहिने हाथ का धोवण हल्का गुलाबी झाईदार व बाये हाथ का धोवण गुलाबी होना पाया गया। इस प्रकार आरोपीगण द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर स्वंय के लिये अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से आपराधिक षडयंत्रपूर्वक उक्त रिश्वत राशि अपने परिचित श्री लक्ष्मीकांत खन्ना के मार्फत प्राप्त की। आरोपीगण 1. मारूती नन्दन पुत्र श्री रामदेव नागर जाति धाकड उम्र 32 साल निवासी रविन्द्र कॉलोनी नैनवा पुलिस थाना नैनवा हाल वरिष्ठ सहायक (रीडर) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा जिला बूंदी 2. श्री लक्ष्मीकांत पुत्र श्री नंदलाल खन्ना जाति पंजाबी खत्री उम्र 42 साल निवासी वार्ड न. 4 नैनवा, खारा कुआ पुलिस थाना नैनवा हाल प्राईवेट सफाईकर्मी कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा जिला बूंदी का उक्त कृत्य अपराध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बी.एन.एस. 2023 का जुर्म प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया। अतः उक्त आरोपीगण 1. मारूती नन्दन पुत्र श्री रामदेव नागर जाति धाकड उम्र 32 साल निवासी रविन्द्र कॉलोनी नैनवा पुलिस थाना नैनवा हाल वरिष्ठ सहायक (रीडर) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा जिला बूंदी 2. श्री लक्ष्मीकांत पुत्र श्री नंदलाल खन्ना जाति पंजाबी खत्री उम्र 42 साल निवासी वार्ड न. 4 नैनवा, खारा कुआ पुलिस थाना नैनवा हाल प्राईवेट सफाईकर्मी कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा जिला बूंदी के विरूद्ध धारा उपरोक्त में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमाकंन सादर प्रेषित है। (झाबर मल) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक.....................कार्यवाही पुलिस...............प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री झाबर मल ,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बी.एन.एस. 2023 में आरोपीगण 1.मारूती नन्दन पुत्र श्री रामदेव नागर जाति धाकड उम्र 32 साल निवासी रविन्द्र कॉलोनी नैनवा पुलिस थाना नैनवा हाल वरिष्ठ सहायक (रीडर) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा जिला बूंदी 2. श्री लक्ष्मीकांत पुत्र श्री नंदलाल खन्ना जाति पंजाबी खत्री उम्र 42 साल निवासी वार्ड न. 4 नैनवा, खारा कुआ पुलिस थाना नैनवा हाल प्राईवेट सफाईकर्मी कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा जिला बूंदी के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती प्रेरणा शेखावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 301 पर अंकित है। (राहुल कोटोकी) उप महानिरीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 354-57 दिनांक 21.03.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा, 2. जिला कलक्टर, बून्दी 3.-उप महानिरीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक। उप महानिरीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** DR PRERNA SHEKHAWAT **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम):

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Rahul Katakey
Location: Rajasthan,IN
Date: 21/03/2025 20:[illegible]

Name(नाम): RAHUL KATAKEY

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	08/07/1993				
2	Male	1983				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है ।)